# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
## पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)
## प्रकरण सं. 224/2023
## वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जरनैल सिंह पुत्र स्व. श्री सौदागर जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. रणजीत कौर पत्नी स्व. श्री सौदागर जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जीत सिंह पुत्र स्व. श्री सौदागर जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुखदीप कौर पुत्री स्व. श्री सौदागर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. बाघ सिंह पुत्र स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. मनजीत कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. गुरदेव कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. कौर सिंह पुत्र स्व. श्रीमती बचन कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. बलौर सिंह पुत्र स्व. श्रीमती बचन कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. नक्षत्र सिंह पुत्र स्व. श्रीमती बचन कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. मघर सिंह पुत्र स्व. श्रीमती सुखजीत कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. जसवन्त सिंह पुत्र स्व. श्रीमती सुखजीत कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. करनैल सिंह पुत्र स्व. श्रीमती तेज कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. जरनैल सिंह पुत्र स्व. श्रीमती तेज कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

9/6/23

लगातार--2

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल बोलावाली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official



14. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादी की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :-

वादी जरनैल सिंह ने प्रतिवादीगण रणजीत कौर वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादीया सं. 1 वादी की माता, प्रतिवादी सं. 2 वादी का भाई, प्रतिवादीया सं. 3 वादी की बहिन, प्रतिवादी सं. 4 ताया, प्रतिवादी सं. 5 व 6 वादी की बुआ, प्रतिवादी सं. 7 ता 13 बुआ के लड़के है जो कि एक सयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी स्वयं के नाम से, वादी के स्व. दादा चन्द सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, वादी के स्व. चाचा झरमल सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 133/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.530 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि विरासतन हैं तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है, में वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व (By birth Right) निहित है परन्तू उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 13 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 13 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 13 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। उक्त बंटवारा में प्रतिवादी सं. 3 ता 13 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। प्रतिवादी सं. 3 ता 13 अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नही रहा हैं। वादी का अन्य सहकाश्तकार के साथ बंटवारा हो गया है। बंटवारा बाबत् एवं कब्जाकाश्त बाबत् कोई सहकाश्तकार के साथ कोई विवाद नही है। वादी को घरु तौर पर बंटवारा में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि विभाजन अनुसार निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं :-

(क) वादी जरनैल सिंह पुत्र स्व. श्री सौदागर जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

तहसील संगरिया के चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 133/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.012 है. कृषि भूमि

9/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल...श्री.लालकी

लगातार--3

(ख) प्रतिवादी सं. 1 रणजीत कौर पत्नी स्व. श्री सौदागर जाति जटसिख निवासी ढाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

तहसील संगरिया के चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 133/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 0.506 है. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 2 जीत सिंह पुत्र स्व. श्री सौदागर जाति जटसिख निवासी ढाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

तहसील संगरिया के चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 133/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1.012 है. कृषि भूमि

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि प्रतिवादी सं. 1 ता 13 को प्रश्नगत् कृषि भूमि विरासतन तौर पर प्राप्त हुई है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 13 को बंटवारानुसार कृषि भूमि दर्ज करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 13 टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 13 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 14 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 133/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 ता 8 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 13 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 13 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिग्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिग्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

लगातार--4

9/6/23
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल ढाणी बख्तावर सिंह वाली

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official



वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी स्वयं के नाम से, वादी के स्व. दादा चन्द सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, वादी के स्व. चाचा झरमल सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 डी.एल. पी. के खाता सं. 133/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.530 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 13 द्वारा सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 13 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**-:: क्रियात्मक आदेश ::-**

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 द्वारा प्रस्तुत सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाता है कि मुताबिक बंटवारा वादी स्वयं के नाम से, वादी के स्व. दादा चन्द सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, वादी के स्व. चाचा झरमल सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 133/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.530 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.012 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 1 को 0.506 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 2 को 1.012 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3, 4 एवं मृतक चन्द सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह एवं झरमल सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 9.6.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

9/6/23

(रमेश देव)

[illegible] कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी (SDO),
संगरिया

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

**(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)**

**न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया**

**पीठासीन अधिकारीः- रमेश देव(आर.ए.एस.)**

**प्रकरण सं. 224/2023**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जरनैल सिंह पुत्र स्व. श्री सौदागर जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

**- वादी**

**बनाम्**

1. रणजीत कौर पत्नी स्व. श्री सौदागर जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जीत सिंह पुत्र स्व. श्री सौदागर जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सुखदीप कौर पुत्री स्व. श्री सौदागर सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. बाघ सिंह पुत्र स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. मनजीत कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. गुरदेव कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. कौर सिंह पुत्र स्व. श्रीमती बचन कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. बलौर सिंह पुत्र स्व. श्रीमती बचन कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. नक्षत्र सिंह पुत्र स्व. श्रीमती बचन कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. मघर सिंह पुत्र स्व. श्रीमती सुखजीत कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. जसवन्त सिंह पुत्र स्व. श्रीमती सुखजीत कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. करनैल सिंह पुत्र स्व. श्रीमती तेज कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. जरनैल सिंह पुत्र स्व. श्रीमती तेज कौर पुत्री स्व. श्री चन्द सिंह जाति जटसिख निवासी ढ़ाणी बख्तावर सिंह वाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

**- प्रतिवादीगण**

**वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.**

9/6/23

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023
शिविर प्रभारी (SDO)
शिविर स्थल....बोलांवाली

लगातार --2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official



दिनांक :- .................

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **रमेश देव**(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री महावीर बेरड़** वकील वादी मिन जामिन मुदई **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 13 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादी स्वयं के नाम से, वादी के स्व. दादा चन्द सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह, वादी के स्व. चाचा झरमल सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम से तहसील संगरिया के चक 1 डी.एल.पी. के खाता सं. 133/53 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 2.530 है. कृषि भूमि में से वादी को 1.012 है. कृषि भूमि का, प्रतिवादी सं. 1 को 0.506 है. कृषि भूमि का तथा प्रतिवादी सं. 2 को 1.012 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3, 4 एवं मृतक चन्द सिंह पुत्र श्री सुच्चा सिंह एवं झरमल सिंह पुत्र श्री चन्द सिंह का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज .....X..... निल .....X..... मुब्लिक .....X..... निल .....X..... बाबत् .....X..... निल.....X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....X.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 9.6.2023 को जारी किया जाता है।

9/6/23

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023
शिविर स्थल बोलावाली